न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/173

1. हेमराज आयु 52 वर्ष आत्मज चतुर्भुज जाति धाकड निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आयु 56 वर्ष आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. घांसी लाल आयु 56 वर्ष आत्मज मूली लाल जाति धाकड निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. छीतर लाल आयु 70 वर्ष आत्मज दुर्गालाल जाति धाकड निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड आयु बालिग आत्मज चन्द्रा जाति बैरवा निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. गोपी आयु बालिग आत्मज धन्ना जाति बैरवा निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनरवा जिला बून्दी ।
3. हरदेवा आयु बालिग आत्मज रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भूरा आयु बालिग आत्मज मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी मानपुरा पंचायत खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1976 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खानपवुरा में आराजी खसरा नम्बर 68/1, 62/1, 63/1, 56/1, 64, 66 एवं 67 की कुल रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 68/1 अप्रार्थी कम 3 छीतर को, खसरा नम्बर 62/1 अप्रार्थी कम 4 सुन्दरा को, 63/1 अप्रार्थी कम 1

भूरा को एवं खसरा नम्बर 56/1 अप्रार्थी कम 2 मूली लाल तथा खसरा नम्बर 64, 66 व 67 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी कम 5 चतुर्भुज को दिनांक 13.06.1972 को आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पहले से ही प्रार्थीगण के नाम आवंटित हो चुकी थी । इसलिए परामर्शदात्री समिति को यह भूमि अलोट करने का अधिकार नहीं था और उनके द्वारा दिये गये आदेश निरस्त योग्य है ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.08.1976 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 को निरस्त कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.1976 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अपीलान्टगण के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया था और उन्हें दखल दिया गया था तब से ही उनका उक्त आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । आवंटित आराजी पर आज भी आवंटी व उनके पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अपीलान्टगण के पक्ष में किया गया आवंटन आवंटन नियमों के अनुसार ही किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1976 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट एवं उनके पूर्वजों को उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं थी और न ही इस बाबत् उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना दी गई । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.1976 को प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि अलग–अलग हैं और दोनों अपनी–अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत निर्णय देकर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया । उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी माह फरवरी, 2016 में हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करके 14 (4) का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया है जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्टगण का बदस्तूर बना हुआ है । आवंटन के समय ही

अपीलान्टगण को दखल दे दिया गया था । आवंटी और उनके पूर्वज आवंटित आराजी पर काबिज काश्त हैं । प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह स्वीकार किया गया है कि अपीलान्ट एवं उनके पूर्वजों को जो भूमि आवंटित की गई है उस पर अपीलान्ट काबिज काश्त है और प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जो भूमि आवंटित हुई है वह अलग है जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज है । इसलिए 14 (4) भू–आवंटन नियम के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की थी परन्तु खारिज करने के स्थान पर अपीलान्टगण के आवंटन को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया । रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट की आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1976 को निरस्त कर अपीलान्ट के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 को बहाल रखा जावे।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1976 के खिलाफ अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित हैं और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी नहीं बताए हैं जबकि विलम्ब के प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब का कारण बताना आवश्यकता होता है। पत्रावली में तहसीलदार का जवाब संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का कब्जा माना गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण के आधार पर सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1976 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सन् 1975 के आवंटन *आदेश की प्रतियॉ संलग्न हैं ।*

11. अपीलान्ट ने ने सन् 1976 के आदेश के खिलाफ वर्ष 2016 में अपील पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है न ही अपीलान्टगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी उनके खातेदारी/गैरखातेदारी में दर्ज की गई हो । वर्ष 1976 में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में आवंटन के आधार पर अपीलान्टगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया है जो विधि सम्मत है । अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया है ।

12. इन समस्त तथ्यों के आधार पर एवं अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.1976 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा